

# अध्याय I

## राज्य सरकार का वित्त

## 1. बिहार का परिचय

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का तेरहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसा कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 17.86 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों<sup>1</sup> का विकास दर 15.44 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि<sup>2</sup> 12.76 प्रतिशत की तुलना में 15.33 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2005-06 से 2014-15 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.40 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 13.86 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004-05) के वार्षिक विकास की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

**तालिका 1.1: चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7248860	8391691	9388876	10472807	11509810 <sup>#</sup>
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	18.66	15.77	11.88	11.54	-
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616	343663	402283
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06

<sup>#</sup> तीन राज्यों जिनका नाम गोवा, ए. एण्ड एन. द्वीपसमूह और चंडीगढ़ को छोड़कर।  
(स्रोत: जी.एस.डी.पी. के लिए 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएँ, एम.ओ.एस.पी.आई. तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

<sup>1</sup> ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

<sup>2</sup> सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

## 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पांच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि **परिशिष्ट 1.3 भाग 'क'** में दर्शाया गया है। एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.3 के भाग 'ख'** में दी गयी है।

### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2014-15 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2014-15			
				गैर-योजना	योजना	योग	
<b>खण्ड- 'क'</b> राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	68918.65	78417.54	राजस्व व्यय	62477.23	47058.87	25511.11	72569.98
कर राजस्व	19960.68	20750.23	सामान्य सेवाएँ	22018.47	26303.07	105.11	26408.18
करेत्तर राजस्व	1544.83	1557.98	सामाजिक सेवाएँ	26394.85	12019.55	19693.16	31712.71
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	34829.11	36963.07	आर्थिक सेवाएँ	14060.06	8732.21	5712.84	14445.05
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	12584.03	19146.26	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.85	4.04	0.00	4.04
<b>खण्ड- 'ख'</b> पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	14001.00	58.34	18092.07	18150.41
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	15.03	1493.06	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	807.38	32.35	336.36	368.71
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9907.09	13917.53	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3119.56			3608.95
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	1450.43	1650.00	आकस्मिकता निधि	1450.43			1650.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	33457.78	40251.12	लोक लेखा संवितरण	29452.57			39200.48
प्रारंभिक नकद शेष	3715.58	6156.39	अंतिम नकद शेष	6156.39			6337.11
<b>योग</b>	<b>117464.56</b>	<b>141885.64</b>	<b>योग</b>	<b>117464.56</b>			<b>141885.64</b>

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014-15)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 13.78 प्रतिशत (₹ 9498.89 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अपने कर राजस्व में 3.96 प्रतिशत (₹ 789.55 करोड़) तथा संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 6.13 प्रतिशत (₹ 2133.96 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 20750.23 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 13510.40 करोड़) से 53.59 प्रतिशत (₹ 7239.83 करोड़) अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 25662.95 करोड़) से 19.14 प्रतिशत (₹ 4912.72 करोड़) कम था। वृद्धि का मुख्य कारण वाहन कर में 15.05 प्रतिशत (₹ 126.08 करोड़), माल एवं यात्री कर में 2.35 प्रतिशत (₹ 102.25 करोड़) तथा राज्य उत्पाद में 1.54 प्रतिशत (₹ 48.86 करोड़) की वृद्धि था।
- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1557.98 करोड़) 0.85 प्रतिशत (₹ 13.15 करोड़) से अधिक हो गया। तथापि, करेत्तर राजस्व 49.44 प्रतिशत (₹ 1523.70 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3081.68 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 2466.86 करोड़) के निर्धारण से 36.84 प्रतिशत (₹ 908.88 करोड़) कम था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग में ₹ 310.73 करोड़ की वृद्धि था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 72569.98 करोड़) में 16.15 प्रतिशत (₹ 10092.75 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में 20.15 प्रतिशत (₹ 5317.86 करोड़), सामान्य सेवाओं में 19.94 प्रतिशत (₹ 4389.71 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 2.74 प्रतिशत (₹ 385 करोड़) व्यय की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 91765.43 करोड़) से 20.92 प्रतिशत (₹ 19195.45 करोड़) कम था।
- वर्ष 2013-14 के तुलना में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 8.37 प्रतिशत (₹ 3639.54 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 32.13 प्रतिशत (₹ 10602.61 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 1478.03 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 54.33 प्रतिशत (₹ 438.67 करोड़) की कमी हुई। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 29.64 प्रतिशत (₹ 4149.41 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 20.30 प्रतिशत (₹ 6793.34 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 33.10 प्रतिशत (₹ 9747.91 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 40.48 प्रतिशत (₹ 4010.44 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 15.69 प्रतिशत (₹ 489.39 करोड़) की वृद्धि हुई।
- इन लेन-देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 2.94 प्रतिशत (₹ 180.72 करोड़) की वृद्धि हुई।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम “बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010” रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) बनाया था (फरवरी 2014)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परंतु, सितंबर 2015 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा


राजकोषीय परिवर्ती कारक	2014-15				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / एम.टी.एफ.पी. में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	10174.03	10174.03	5847.56
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.00	3.00	2.96	2.96	2.78
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	41.60	41.60	19.66	19.66	24.62

(स्रोत: वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, बजट तथा एम.टी.एफ.पी. आँकड़े तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014-15)

राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

### 1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। **चार्ट 1.1** वर्ष 2014-15 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.5** में भी दिया गया है।



(स्रोत: बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014-15)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक आँकड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 23522 करोड़ (23 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में ₹ 4913 करोड़ (19 प्रतिशत) तथा ₹ 1524 करोड़ (49 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व का बजट प्राक्कलन की तुलना में कमी होना था।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 19195 करोड़ (21 प्रतिशत) एवं ₹ 6971 करोड़ (28 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 11905 करोड़, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 5543 करोड़ तथा सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 1747 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 4327 करोड़ (43 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 23522 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 11368 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 189 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 19195 करोड़ की कमी थी जैसा की बजट प्राक्कलन में प्रावधानित था।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 264 करोड़ की वृद्धि हो गयी।


## 1.2 राज्य के संसाधन

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह—राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।


चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप-घटक

(₹ करोड़ में)



\* कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं।  
(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014-15)

चार्ट 1.3 वर्ष 2010-15 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2014-15 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता है ।




\* कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।

<sup>#</sup> पूँजीगत प्राप्तियाँ में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल हैं ।  
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 में ₹ 51148 करोड़ से 86 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94879 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 12033 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2014-15 के कुल प्राप्तियों (₹ 94879 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है ।



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014-15)



वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 83 प्रतिशत था तथा यह ₹ 9498 करोड़ (14 प्रतिशत) वर्ष 2013-14 के ₹ 68919 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 78417 करोड़ हो गया।

वर्ष 2014-15 में पूँजीगत प्राप्तियों का अंश कुल प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था तथा यह ₹ 5489 करोड़ (55 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2013-14 के ₹ 9922 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 15411 करोड़ हो गया।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) का अंश कुल प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के दौरान एक प्रतिशत था तथा यह ₹ 2954 करोड़ (74 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2013-14 के ₹ 4005 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 1051 करोड़ हो गया।

### **1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का स्थानांतरण**


भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों<sup>3</sup> को स्थानांतरण किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि, वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती हैं और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का स्थानांतरण **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने केंद्र प्रयोजित योजनाएँ/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2014-15 में राज्यों को समेकित निधि के माध्यम से सीधे राज्य सरकार को धन स्थानांतरण करने के लिए निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 651.74 करोड़ सीधे स्थानांतरण किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 8812.76 करोड़ (93.11 प्रतिशत) कम थी। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित गन्नी खान संस्थान (₹ 46.00 करोड़ अर्थात् 7.06 प्रतिशत) तथा स्वयंसेवी संस्थाओं सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (₹ 10.72 करोड़ अर्थात् 1.64 प्रतिशत) को सहायता अनुदान थे।


### **1.3 राजस्व प्राप्तियाँ**

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर का स्थानांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **परिशिष्ट 1.7** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11 में ₹ 44532 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 78417 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2010-11 में 22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 24 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोत में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2010-15 के दौरान 22 से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में राज्य का केंद्रीय कर स्थानांतरण का करों में अंश वर्ष 2010-15

के दौरान 47 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2010-15 के दौरान दो प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	44532	51320	59567	68919	78417
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.35	15.24	16.07	15.70	13.78
राज्य का अपना कर (₹ करोड़ में)	9870	12612	16253	19961	20750
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.00	27.78	28.87	22.81	3.95
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616	343663	402283
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	21.88	21.10	20.29	20.05	19.49
<b>उत्पलावकता अनुपात<sup>4</sup></b>					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	1.02	0.78	0.78	0.92	0.81
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्पलावकता	0.88	1.42	1.39	1.34	0.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2010-15 के दौरान दो अंको में रहा। यह वर्ष 2010-11 के 25.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 13.78 प्रतिशत हो गया (वर्ष दर वर्ष घटते हुये)।

वर्ष 2010-11 तथा 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलावकता अनुपात 0.23 प्रतिशत से 1.42 प्रतिशत के बीच रहा।

### 1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केंद्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन अपना कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वर्ष 2014-15 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

	(₹ करोड़ में)		
	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	13510.40	25662.95	20750.23
करेत्तर राजस्व	2466.86	3081.68	1557.98

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा तेरहवें वित्त आयोग के आँकड़े)

यद्यपि, राज्य का कर राजस्व वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 7239.83 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 4912.72 करोड़ कम था। तथापि, करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण तथा राज्य बजट के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 908.88 करोड़ तथा ₹ 1523.70 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है।

<sup>4</sup> उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे-राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

### 1.3.1.1 कर राजस्व


राज्य का कर राजस्व 110 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 9870 करोड़ से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 20750 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक तालिका 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.6: वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4557	7476	8671	8453	8607	1.82
राज्य उत्पाद	1523	1981	2430	3168	3217	1.55
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1099	1480	2173	2712	2699	(-) 0.48
वाहन पर कर	456	569	673	837	964	15.17
भू-राजस्व	139	168	205	202	277	37.13
माल एवं यात्री पर कर	2006	828	1932	4349	4451	2.35
अन्य कर	90	110	169	240	535	122.92
<b>योग</b>	<b>9870</b>	<b>12612</b>	<b>16253</b>	<b>19961</b>	<b>20750</b>	<b>3.95</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2010-15 के दौरान कर राजस्व के मुख्य घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

**परिशिष्ट 1.7** वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था तथा यह वर्ष 2010-11 में 46 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 41 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच 16 प्रतिशत पर स्थिर रहा, केवल 2013-14 को छोड़कर (15 प्रतिशत)।
- मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2010-11 के 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 13 प्रतिशत हो गया।

## अध्याय 1 राज्य सरकार का वित्त

- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच पाँच प्रतिशत पर स्थिर रहा।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश वर्ष 2010-11 में 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 21 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2010-11 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में तीन प्रतिशत हो गया।


### 1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 1557.98 करोड़) 1.99 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 13.15 करोड़ अधिक था। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.7 : करेत्तर राजस्व का वृद्धि दर

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	237.96	573.70	167.12	269.48	344.77	27.94
लाभांश तथा लाभ	2.53	1.40	2.55	2.53	2.58	1.98
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	745.04	314.76	965.60	1272.82	1210.63	(-) 4.89
योग	985.53	889.86	1135.27	1544.83	1557.98	0.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

### 1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2010-11 में ₹ 9698.56 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 19146.26 करोड़ हो गया जिसे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13	3271.21
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39	14935.68
केंद्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	175.70	95.78	35.69	136.65	117.49
केंद्र प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	2141.13	2159.19	2777.68	2920.86	821.88
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	9698.56	9882.98	10277.92	12584.03	19146.26

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	28.22	1.90	4.00	22.44	52.15
राजस्व प्राप्तियाँ	44532	51320	59567	68919	78417
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	21.78	19.26	17.25	18.26	24.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अनुदानों में ₹ 6562.23 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण राज्य योजना (₹ 8697.29 करोड़) हेतु अनुदान था।

### 1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटे की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 के दौरान कोई ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने नहीं उठाया।

### 1.3.4 केंद्रीय कर स्थानान्तरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य के संघीय कर का अंश 30.50 प्रतिशत जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में अनुशंसा की गयी थी से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाना था। राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर को छोड़कर) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश क्रमशः 10.917 प्रतिशत तथा 11.089 प्रतिशत नियत किया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 36963.07 करोड़) प्राक्कलन (₹ 41775.05 करोड़) से (₹ 4811.98 करोड़) कम था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 2133.96 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1194.25 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 1504.39 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 295.24 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 224.92 करोड़) में कमी के अंतर्गत हुई।

### 1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 11588.70 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं उपयोगिता तालिका 1.9 में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.9: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	हस्तांतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	476.00	482.34	482.34	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	252.03	68.77	68.77	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	3239.10	3282.27	3282.27	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	1714.97	1690.65	1690.65	0.00
5.	पथ एवं पुल	464.00	464.00	464.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	4018.00	4018.00	4018.00	0.00
7.	आपदा राहत	1386.20	1383.21	250.94	1132.27
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	38.40	21.13	5.14	15.99
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	36.81	0.00	36.81
योग		11588.70	11447.18	10262.11	1185.07

(स्रोत: बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ₹ 11447.18 करोड़ में से ₹ 1185.07 करोड़ को छोड़कर ₹ 10262.11 करोड़ (89.65 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2010-15 के दौरान किया गया था। आपदा सहायता और पर्यावरण (वन) से संबंधित अनुदानों की राशि क्रमशः ₹ 1132.27 करोड़ तथा ₹ 15.99 करोड़ के साथ ही शिशु मृत्यु दर में गिरावट के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण राशि ₹ 36.81 करोड़ अव्यवहृत रही।

## 1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 में ₹ 6044 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 15411 करोड़ (155 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.10:- प्राप्तियों के वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	6044	6726	9579	9922	15411
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781.53	826.56	508.02	549.66	718.25
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	12	23	25	15	1493
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6032	6628	9554	9907	13918
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 2	10	44	04	40
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	203555	243269	293616	343663	402283
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 2	11	42	04	55

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

### 1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2013-14 में ₹ 15.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1493.06 करोड़ हो गयी। जिसमें मुख्यतः सांविधिक निकायों (₹ 1475.06 करोड़), सरकारी सेवक (15.04 करोड़) तथा सहकारी समितियों/सहकारी निकायों/बैंकों (₹ 2.96 करोड़) के लिए ऋण सम्मिलित है।

### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 में ₹ 9907 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 13918 करोड़ (40.49 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः बाजार ऋण (₹ 8100 करोड़), नाबार्ड से ऋण (₹ 1151 करोड़) तथा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 3945 करोड़) की ऋण सम्मिलित थी।

## 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियाँ तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु निधि उपलब्ध होती है। तालिका 1.11 के नीचे 2010-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.11 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक (निवल)

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)</b>					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	252.70	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77
ख. आरक्षित निधि	183.72	572.36	530.89	698.58	730.13
ग. जमा एवं अग्रिम	50.94	932.91	2199.05	3668.40	2222.58
घ. उचंत एवं विविध	4.91	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1707.32
ड. प्रेषण	79.96	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98
<b>योग</b>	<b>572.23</b>	<b>909.39</b>	<b>2267.39</b>	<b>4005.21</b>	<b>1050.64</b>

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)


लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) वर्ष 2010-11 में ₹ 572.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1050.64 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2014-15 के दौरान जमा एवं अग्रिम (₹ 2171.64 करोड़) तथा आरक्षित निधि (₹ 546.41 करोड़) में वृद्धि के कारण था।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

### 1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2010-15) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



<sup>#</sup> कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)



- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2010-11 में ₹ 48515 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 91089 करोड़ (88 प्रतिशत) हो गया।
- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में ₹ 13804 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 10093 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 4149 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि था।
- मुख्य पूँजीगत व्यय की बढ़ोतरी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 2013-14 के ₹ 1934 करोड़ से 2014-15 में ₹ 4648 करोड़ (140 प्रतिशत), लोक निर्माण में 2013-14 के ₹ 412 करोड़ से 2014-15 में ₹ 985 करोड़ (139 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता में 2013-14 के ₹ 618 करोड़ से 2014-15 में ₹ 885 करोड़ (43 प्रतिशत) थी।
- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य में 2013-14 के ₹ 1753 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2915 करोड़ (66 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में 2013-14 के ₹ 2698 करोड़ से 2014-15 में ₹ 4311 करोड़ (60 प्रतिशत) तथा पुलिस में 2013-14 में ₹ 3805 करोड़ से 2014-15 में ₹ 4620 करोड़ (21 प्रतिशत) थी।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदंड की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: राजस्व व्यय— आधारभूत मापदंड

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	38216	46499	54466	62477	72570
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	27316	34012	37574	43381	47059
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	10900	12487	16892	19096	25511
<b>वृद्धि दर</b>					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	17.28	21.67	17.13	14.71	16.15
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.13	24.51	10.47	15.45	8.48
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	29.16	14.56	35.28	13.05	33.59
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशतता	78.77	81.21	82.35	80.84	79.67
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.42	13.98	12.80	12.62	11.70
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	56.30	59.40	56.81	56.13	51.66
राजस्व प्राप्तियों में गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	61.34	66.27	63.08	62.94	60.01
<b>राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ</b>					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	0.69	1.11	0.83	0.86	0.95
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	0.68	1.42	1.07	0.94	1.17

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

**राजस्व व्यय**

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 10093 करोड़ (16.15 प्रतिशत) तथा कुल व्यय<sup>5</sup> का 79.67 प्रतिशत बढ़ गया।

**गैर योजना राजस्व व्यय**

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) ₹ 3678 करोड़ (8.48 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण सूचना एवं प्रसारण में ₹ 30.50 करोड़ (45.73 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण में ₹ 42.05 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं में ₹ 50.21 करोड़ (26.22 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है।

**योजना राजस्व व्यय**

वर्ष 2014-15 के दौरान योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 6415 करोड़ (33.59 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में ₹ 1026.16 करोड़ (351.06 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं पोषण में ₹ 1583.55 करोड़ (41.12 प्रतिशत) तथा ग्रामीण विकास में ₹ 277.07 करोड़ (16.47 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय वृद्धि था जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है।

**1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय**

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। **तालिका 1.13** तथा **चार्ट 1.10** 2010-15 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

**तालिका 1.13: 2010-15 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक**

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	10549.85 (23.69)	12193.69 (23.76)	13557.88 (22.76)	14036.67 (20.37)	19058.83	14607.44 (18.63)
1 (क)	गैर-योजना शीर्ष	9954.35 (22.35)	11494.50 (22.40)	12865.06 (21.60)	13315.36 (19.32)	18204.75	13910.31 (17.74)
1 (ख)	योजना शीर्ष	595.51 (1.34)	699.19 (1.36)	692.82 (1.16)	721.31 (1.05)	854.09	697.13 (0.89)
2	ब्याज भुगतान	4319.16 (9.70)	4303.66 (8.39)	4428.31 (7.43)	5459.04 (7.92)	6581.46	6128.75 (7.82)
3	पेंशन पर व्यय	6143.86 (13.80)	7808.45 (15.22)	8363.53 (14.04)	9481.73 (13.76)	11666.33	11344.50 (14.47)
4	ऋण की अदायगी	2190.03 (20.76)	2922.46 (23.97)	3069.96 (5.15)	3119.56 (4.53)	3562.90	3608.95 (4.60)
5	सब्सिडी	1349.96 (3.03)	2672.27 (5.21)	4313.45 (7.24)	1464.38 (2.12)	0.00	4628.36 (5.90)
6	योग (1+2+3+4+5)	24552.86 (55.13)	29900.53 (58.26)	33733.13 (56.63)	33561.38 (48.70)	59928.36	54925.44 (70.04)
7	अन्य संघटक (8-6)	13663.06 (30.68)	16598.96 (32.34)	20733.02 (34.81)	28915.85 (41.96)	31837.07	17644.54 (22.50)
8	राजस्व व्यय	38215.92	46499.49	54466.15	62477.23	91765.43	72569.98
9	राजस्व प्राप्तियाँ	44532.32	51320.17	59566.66	68918.65	101939.46	78417.54

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2014-15 का बजट)

<sup>5</sup> इसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान शामिल है।

चार्ट 1.10: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक  
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

### वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय 2013-14 में 20.37 प्रतिशत से घटकर 2014-15 के दौरान 18.63 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 14607.44 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन (₹ 11536.84 करोड़) से ₹ 3070.60 करोड़ अधिक था परन्तु, बजट प्राक्कलन (₹ 19058.83 करोड़) से ₹ 4451.39 करोड़ कम था।

### पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय 2010-11 में ₹ 6143.86 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 11344.50 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 5200.64 करोड़ (84.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 14.47 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1862.77 करोड़ (19.65 प्रतिशत) बढ़ गया।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 6128.75 करोड़) पिछले वर्ष से 12.27 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2010-11 में 9.70 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 7.82 प्रतिशत हो गयी। 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 6128.75 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से (₹ 5978.32 करोड़) से अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 6581.46 करोड़) से कम था।

### ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2010-11 में 20.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 4.60 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3562.90 करोड़) से ₹ 46.05 करोड़ (1.29 प्रतिशत) की सामान्य वृद्धि हुई।

### सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परन्तु, परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय

सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 4628.36 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 216.06 प्रतिशत ज्यादा था तथा राजस्व प्राप्ति का 5.90 प्रतिशत था। इसमें से, समाज कल्याण विभाग हेतु ₹ 3088.86 करोड़, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु ₹ 564.66 करोड़ तथा गन्ना उद्योग विभाग हेतु ₹ 105.30 करोड़ प्रदान किये गये।

### अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे तालिका 1.14 में किया गया है:

तालिका 1.14: वर्ष 2014-15 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

क्रम सं.	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)
1.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	326.34
2.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	213.50
3.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अ.जा. के लिए प्राथमिक शिक्षा)	47.59
4.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक शिक्षा)	131.66
5.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (माध्यमिक+2 शिक्षा)	37.26
6.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	148.93
7.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	143.97
8.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (अ.जा. के लिए माध्यमिक शिक्षा)	24.81
9.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (अ.जा. के लिए माध्यमिक शिक्षा)	24.10
<b>योग</b>		<b>1098.16</b>

(स्रोत: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.14 में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक एवं साइकिल प्रदान करने के लिए ₹ 1098.16 करोड़ का व्यय किया गया।

### 1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

2010-15 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे तालिका 1.15 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.15: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	1940.11	5581.07	8331.34	8420.44	11477.94
नगर निगम एवं नगर निकाय	690.21	557.30	873.56	1009.88	626.46
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	1515.34	2534.41	2595.15	3506.69	2425.69
विकास एजेन्सियाँ	394.24	3029.74	3079.26	5683.72	6938.67
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	53.67	25.00	0.00	67.12	101.05
अन्य संस्थाएँ	28.25	2716.16	2574.43	247.16	789.48
<b>योग</b>	<b>4621.82</b>	<b>14443.68</b>	<b>17453.74</b>	<b>18935.01</b>	<b>22359.29</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	12.09	31.06	32.05	30.31	30.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि 2014-15 के दौरान वित्तीय सहायता 2013-14 में ₹ 18935.01 करोड़ से ₹ 22359.29 करोड़ बढ़कर हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3424.28 करोड़ (18.08 प्रतिशत) की वृद्धि प्रारंभिक रूप से शैक्षणिक संस्थाएँ (₹ 3057.50 करोड़), विकास एजेन्सियाँ (₹ 1254.95 करोड़), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ

संस्थानों (₹ 33.93 करोड़) तथा अन्य संस्थानों (₹ 542.32 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि, नगर निगम एवं नगर निकाय तथा जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थानों की सहायता में क्रमशः ₹ 383.42 करोड़ एवं ₹ 1081 करोड़ की कमी आई।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर सन्निहित है, जिसमें व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत-परिणाम संबंध का आकलन)।

### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

**तालिका 1.16** 2014-15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

**तालिका 1.16: 2011-12 तथा 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता**

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई. <sup>6</sup> / ए.ई.	एस.एस. ई./ए.ई.	सी.ई. <sup>7</sup> / ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य /ए.ई.
#सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12*	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
बिहार का औसत (अनुपात) 2011-12	23.54	67.93	34.12	15.46	17.84	3.71
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2014-15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
बिहार का औसत (अनुपात) 2014-15	22.64	69.07	36.65	19.93	18.15	3.96

# सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों और नौ विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है।

\* जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के अनुसार

ए.ई.—संचयी व्यय, डी.ई.—विकास व्यय, एस.एस.ई.—सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.—पूँजीगत व्यय,

<sup>5</sup> डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

### 1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्ष<sup>6</sup> पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स<sup>7</sup> के प्रावधान पर बल दे।

<sup>6</sup> विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

<sup>7</sup> कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल हैं।

विकासात्मक व्यय<sup>8</sup> के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है। कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.17 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.17 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता (प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2013-14		2014-15	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
<b>सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)</b>				
सामान्य शिक्षा	4.67	33.52	1.47	28.49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17.88	74.76	8.76	50.99
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	17.69	7.87	19.88	6.63
<b>योग (एस.एस.)</b>	<b>8.51</b>	<b>34.09</b>	<b>5.96</b>	<b>28.25</b>
<b>आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)</b>				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	13.00	14.93	5.11	14.37
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	63.39	56.27	58.26	58.00
विद्युत एवं ऊर्जा	36.96	0.00	52.53	0.00
परिवहन	74.76	15.44	80.83	22.81
<b>योग (ई.एस.)</b>	<b>48.29</b>	<b>14.40</b>	<b>51.99</b>	<b>14.23</b>
<b>योग (एस.एस.+ई.एस.)</b>	<b>26.33</b>	<b>27.90</b>	<b>26.18</b>	<b>24.24</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में 26.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 26.18 प्रतिशत हो गया। इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013-14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 में 8.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 5.96 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 में 48.29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 51.99 प्रतिशत हो गयी। मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कमी देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013-14 में 34.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 28.25 प्रतिशत हो गया, जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013-14 में 14.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 14.23 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (5.03 प्रतिशत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (23.77 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति,

<sup>8</sup> व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है।

स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (1.24 प्रतिशत) के अंतर्गत था। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (1.73 प्रतिशत) तथा परिवहन (7.37 प्रतिशत) में पाया गया।

## 1.8 राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यो

अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यो पर निधि के अवरुद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए परियोजनाएँ/कार्यो सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तालिका 1.18 में 31 मार्च 2015 तक के अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यो की विभागवार सूचनाएँ दी गयी हैं। सम्मिलित रूप से 211 परियोजनाओं/कार्यो (प्राक्कलित लागत ₹ 3404.88 करोड़) को मार्च 2015 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1300.78 करोड़ अवरुद्ध हो गया। अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यो की भौतिक प्रगति मार्च 2015<sup>9</sup> को शून्य से 96 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.18 अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यो का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अपूर्ण परियोजनाएँ/ कार्यो की संख्या	प्राक्कलित लागत	मार्च 2015 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	41	2161.60	767.55
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	104	459.79	204.23
पथ निर्माण	23	571.24	236.02
भवन निर्माण	18	129.95	55.59
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	14	31.12	11.53
ग्रामीण कार्य	9	36.95	22.12
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	14.23	3.74
<b>योग</b>	<b>211</b>	<b>3404.88</b>	<b>1300.78</b>

(स्रोत: वर्ष 2014-15 के राज्य का वित्त लेखा)

परियोजनाएँ/कार्यो को पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जो कि तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	905.24	920.82	941.17	2867.18	7068.79
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.53	1.40	2.55	2.53	2.58
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.28	0.15	0.27	0.09	0.04
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर <sup>10</sup> (प्रतिशत)	6.87	6.35	5.79	6.28	6.19
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.59	6.20	5.52	6.19	6.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

<sup>9</sup> वित्त लेखा वर्ष 2014-15 का परिशिष्ट - IX।

<sup>10</sup> ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान\* 100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 7068.79 करोड़ के निवेश के विरुद्ध केवल ₹ 2.58 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1.19 में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.17 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2010-15 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.30 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 में घटते हुए प्रवृत्ति में था।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 7068.79 करोड़ में, 53 सरकारी कंपनियों में ₹ 6545.39 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 383.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 4201.61 करोड़ का निवेश किया। इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 4200.61 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में एक करोड़ का निवेश किया गया था।

### 1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

तालिका 1.20 31 मार्च 2015 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज (₹ करोड़ में)

ऋण की राशि/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15
प्रारंभिक शेष	18525.76	20587.01	21379.36
वर्ष के दौरान प्रदत्त की राशि	2085.95	807.38	368.71
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	24.70	15.03	1493.06
<b>अंतिम शेष</b>	<b>20587.01</b>	<b>21379.36</b>	<b>20255.01</b>
निवल योग	2061.25	792.35	(-) 1124.35
ब्याज प्राप्तियाँ	167.12	269.48	344.77
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ की प्रतिशतता	0.81	1.26	1.70
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	5.79	6.28	6.19
ब्याज प्राप्तियाँ तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 4.98	(-) 5.02	(-) 4.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋणों की मात्रा वर्ष 2013-14 में ₹ 807.38 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 368.71 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2013-14 में ₹ 15.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1493.06 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्तियों की वसूली ज्यादा होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 5.02 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 4.49 प्रतिशत हो गया।



### 1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.21 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.21: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को	(₹ करोड़ में) वृद्धि/कमी
नकद शेष	6156.39	6337.11	180.72
नकद शेष से निवेश (क से घ)	4038.80	3528.80	(-) 510.00
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4034.15	3524.15	(-) 510.00
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क एवं ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	1367.75	2343.00	975.25
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	1367.65	2342.90	975.25
ब्याज प्राप्ति	233.07	311.77	78.70

\* वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ें शामिल किये गये  
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 6156.39 करोड़ से बढ़कर ₹ 6337.11 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2015 को ₹ 4034.15 करोड़ से घटकर ₹ 3524.15 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 975.25 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश पर ₹ 311.77 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त ब्याज (₹ 233.07 करोड़) से ₹ 78.70 करोड़ ज्यादा था।

## 1.9 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

### 1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल संपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयताएँ तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। परिशिष्ट 1.8 31 मार्च 2014 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 तक की ऐसी देयताएँ एवं परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयताएँ राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएँ हैं। संचित निधि देयताएँ में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएँ


तालिका 1.22 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: बकाया राजकोषीय देयताएँ<sup>11</sup>

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राशि (₹ करोड़ में)	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10	99055.82
वृद्धि दर	7.10	7.88	12.82	13.64	13.94
<b>राजकोषीय देयताएँ का अनुपात</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.309	0.279	0.261	0.253	0.246
राजस्व प्राप्तियाँ	1.412	1.321	1.284	1.261	1.263
स्वयं के संसाधन	5.791	5.022	4.400	4.043	4.440
<b>राजकोषीय देयताओं का उत्पादकता अनुपात</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.285	0.404	0.619	0.800	0.817
राजस्व प्राप्तियाँ	0.280	0.517	0.798	0.869	1.011
स्वयं के संसाधन	0.633	0.323	0.445	0.576	3.737

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2010-11 में ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संघटक चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका 1.22 में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2013-14 में ₹ 86939.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयताएँ की वृद्धि दर 2013-14 के 13.64 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 13.94 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजकोषीय देयताएँ का जी.एस.डी.पी. से अनुपात वर्ष 2010-11 में 30.90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान 24.60 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिमान 41.60 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 41.60 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2014-15 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.26 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 4.44 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पादकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.800 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.817 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

<sup>11</sup> बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।

### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखे) के लेखा में 'अ' प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त इन निधियों को "ब्याज वाली निधि" तथा "बिना ब्याज वाली निधि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं जो उन स्रोत पर आधारित होते हैं जिसमें से पोषित होते हैं।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान यथा केंद्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उद्देश्यों जैसे शून्यह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के लेखे में छः आरक्षित निधि<sup>12</sup> सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

### राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2014 को ₹ 2054.69 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 428.37 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 673.49 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2015 को ₹ 1809.57 करोड़ का शेष रह गया।

### निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष ₹ 1367.65 करोड़ था तथा ₹ 975.25 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2015 को अंतशेष ₹ 2342.90 करोड़ था।

### 1.9.4 आकस्मिक देयताएँ

#### • प्रत्याभूति की स्थिति

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी विगत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.23 में दर्शायी गयी है।

<sup>12</sup> राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि। वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन-देन नहीं है। इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं।

तालिका 1.23: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

प्रत्याभूति	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2046.44	2586.84	5314.84
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1089.23	1090.23	2000.90
कुल राजस्व प्राप्तियाँ से अधिकतम प्रत्याभूत राशि की प्रतिशतता	3.44 (59567)	3.75 (68919)	6.78 (78417)
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं)			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2015 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 2728 करोड़ ज्यादा कर दी गई। 31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति की ₹ 2000.90 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 734.35 करोड़), सहकारिता (₹ 348.69 करोड़), सड़क एवं परिवहन (₹ 193 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 17.21 करोड़), अन्य विनिर्माण (₹ 16.06 करोड़) एवं अन्य दूसरे (₹ 564.12 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

#### • ऑफ-बजट उधारी

सरकारी कंपनियों/निगमों राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी-कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे 'ऑफ-बजट उधारी' कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2010-15 के दौरान इसने किसी ऑफ-बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

#### 1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

2010-15 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी तालिका 1.24 में दी गयी है।

तालिका 1.24: नकद शेष एवं उधारी की विवरणी

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716
2013-14	8351	30249	21898	6156
2014-15	11179	41188	30009	6337

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि वृहत् नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़, ₹ 4305 करोड़, ₹ 21898 करोड़ तथा ₹ 30009 करोड़ क्रमशः वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 1509 करोड़ से ₹ 6337 करोड़ के बीच वृहत् नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे तालिका 1.24 में दर्शायी गयी है।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है। ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने की वचनबद्धता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

#### • ऋण विवरणिका

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षों का समयवार विश्लेषण नीचे तालिका 1.25 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.25: ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता <sup>13</sup>	71	651	4263	4977	5988
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2013-14 में ₹ 4977 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 5988 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 13199.28 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 718.25 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, ₹ 27270.73 करोड़ के अन्य देयताओं में वृद्धि की गई और ₹ 2975.36 करोड़ के आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ₹ 633.59 करोड़ का पुनर्भुगतान, ₹ 25462.59 करोड़ के अन्य देयताओं को चुकाया और ₹ 4951.85 करोड़ आंतरिक ऋण पर ब्याज, ₹ 401.74 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज और ₹ 771.89 करोड़ लघु देयताओं बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज भुगतान भी किया।

#### • ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता<sup>14</sup> का निर्धारण करते हैं। यह खंड, ऋण स्थिरता,<sup>15</sup> गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता<sup>16</sup>, उधार ली गई राशियों की निवल अनुपलब्धता,<sup>17</sup> ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

<sup>13</sup> उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ-(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

<sup>14</sup> किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल हैं। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

<sup>15</sup> स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि आरंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात अंततः घटेगा।

<sup>16</sup> राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

<sup>17</sup> उधार निधियों की निवल उपलब्धता - इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

तालिका 1.26 वर्ष 2010-15 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.26: ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10	99055.82
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ/ जी.एस.डी.पी. अनुपात	30.88	27.88	26.06	25.30	24.62
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	9449.84	7910.80	8318.02	5419.37	5718.37
ऋण स्थिरता/जी.एस.डी.पी.	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	3372	(-) 1485.07	282.02	1331.24	(-) 46710.98
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	71	651	4263	4977	5988
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
<b>राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षों में)</b>					
शून्य से एक वर्ष (2015)					1266.89 (3.34)
एक से तीन वर्ष (2016-2018)					2737.05 (7.21)
तीन से पाँच वर्ष (2019-2020)					6646.93 (17.51)
पाँच से सात वर्ष (2021-2022)					9600.00 (25.30)
सात वर्ष से अधिक (2023 के आगे)					17700.00 (46.64)
<b>कुल बाजार ऋण</b>					<b>37950.86 (100.00)#</b>
* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2014-15 में वित्त लेख में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।					
# कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।					

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

दिये गये तालिका 1.26 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को अपने ऋण का 7.21 प्रतिशत (₹ 2737.05 करोड़) एक से तीन वर्षों के बीच, 17.51 प्रतिशत (₹ 6646.93 करोड़) तीन से पाँच वर्षों के बीच एवं 25.30 प्रतिशत (₹ 9600 करोड़) पाँच से सात वर्षों के बीच पुनर्भुगतान करना है। यह साबित करता है कि राज्य को लगभग अपने ऋण का 50 प्रतिशत (₹ 18983.98 करोड़) का पुनर्भुगतान अगले सात वर्षों में करना है जो कि बहुत अधिक है।

राज्य को ऋण निर्वाहता सुधारने हेतु अच्छे ऋण प्रबंधन उपाय पर कार्य करना है। इसमें अतिरिक्त ऋण एवं संसाधन संग्रहण की वृद्धि शामिल है। जब तक कि ऋण निर्वाहता हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए जाए तब तक राज्य में ऋण सेवा एवं ऋण के जाल की स्थिति गंभीर समस्या होगा।

### 1.10.1 ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की अवधि में ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन/अधिनियम लाकर राज्यों को उपलब्ध करायी जानी थी। 2010 में संशोधित एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2006 द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात को बनाए रखने में राज्य सरकार सक्षम था। वर्ष 2014-15 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण समेकन तथा राहत सुविधा प्राप्त नहीं किया।


### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा-किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति

सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2010-11 से राजस्व अधिशेष प्राप्त किया तथा इसके बाद राजस्व अधिशेष बना रहा। चार्ट 1.12 से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5847 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेपण ₹ 10174 करोड़ से काफी कम था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

### तालिका 1.27: वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति के सूचक

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.020	0.017	0.019	0.015
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.020	(-) 0.024	(-) 0.022	(-) 0.024	(-) 0.028
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.002	(-) 0.007	(-) 0.007	(-) 0.008	(-) 0.013

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.27 में देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 595 करोड़ कम गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 11179 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028) वर्ष 2014-15 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः, ₹ 2892 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2013-14) बढ़कर ₹ 5050 करोड़ हो गया (2014-15)।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त व्यवस्था

राजकोषीय घाटे के व्यवस्था प्रतिमान में समग्र परिवर्तन हुए हैं जिसे तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>राजकोषीय घाटा की संरचना</b>	<b>(-) 3970.31</b>	<b>(-) 5914.90</b>	<b>(-) 6545.26</b>	<b>(-) 8351.92</b>	<b>(-) 11178.50</b>
1 राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	6316.40	4820.68	5100.51	6441.42	5847.56
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-) 9195.94	(-) 8852.01	(-) 9584.52	(-) 14001.00	(-) 18150.41
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 1090.77	(-) 1883.57	(-) 2061.25	(-) 792.35	(-) 1124.35
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*</b>					
1 बाजार उधारी	1707.78	2593.90	5763.88	5346.77	6666.51
2 भारत सरकार से ऋण	316.03	361.08	23.30	(-) 11.07	84.67
3 एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	1533.39	505.56	292.87	631.52	3150.22
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	285.20	244.96	403.96	820.31	407.18
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	252.70	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90	(-) 182.77
6 जमा एवं अग्रिम	50.94	932.91	2199.05	3668.41	2222.57
7 उचंत तथा विविध	1830.68	1238.71	(-) 1936.34	(-) 2007.59	(-) 1231.88
8 प्रेषण	79.96	(-) 36.82	19.51	(-) 19.01	(-) 11.98
9 आरक्षित निधि	23.72	335.93	275.94	262.31	(-) 245.12
10 अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	74.02	-	-	-
<b>11 संपूर्ण अधिशेष/घाटा</b>	<b>6080.37</b>	<b>6248.12</b>	<b>6826.62</b>	<b>8393.74</b>	<b>10859.40</b>
12 नकद शेष में वृद्धि/कमी #	(-) 2110.06	333.22	281.36	41.82	319.10
<b>13 सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>3970.31</b>	<b>5914.90</b>	<b>6545.26</b>	<b>8351.92</b>	<b>11178.50</b>

\*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बर्हिगमन

# नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.29: वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	8100.00	1433.49	6666.51
2	भारत सरकार से ऋण	718.25	633.58	84.67
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	3944.84	794.62	3150.22
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1154.44	747.26	407.18
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1103.76	1286.53	(-) 182.77
6	जमा एवं अग्रिम	24971.54	22748.97	2222.57
7	उचंत तथा विविध	166624.10	167855.98	(-) 1231.88
8	प्रेषण	12221.55	12233.53	(-) 11.98
9	आरक्षित निधि	1403.62	1648.74	(-) 245.12
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
<b>11</b>	<b>संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (-)</b>			<b>10859.40</b>
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी			319.10
<b>13</b>	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>			<b>11178.50</b>

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2014-15)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता है, वह वर्ष 2013-14 में ₹ 8351.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 11178.50 करोड़ हो गया परंतु, यह बजट प्राक्कलन (₹ 11367.84 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 59.65 प्रतिशत था परंतु, यह वर्ष 2014-15 के दौरान बढ़कर 61.59 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में वित्तीय संस्थाएँ, लघु बचत,



भविष्य निधि आदि, जमा एवं अग्रिम, प्रेषण, आरक्षित निधि से ऋण में कमी थी। तथापि, बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण तथा एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति में वृद्धि हुई।

### 1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा<sup>18</sup> में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयताएँ) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (तालिका 1.30) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

तालिका 1.30: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष-कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति <sup>19</sup>	प्रारंभिक राजस्व व्यय <sup>20</sup>	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+) 348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-) 1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-) 2117
2013-14	68934	57018	14001	807	71826	11916	(-) 2892
2014-15	79910	66441	18150	369	84960	13469	(-) 5050

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2010-11 में ₹ 10647 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2011-12 में घटकर ₹ 9148 करोड़ तथा 2014-15 में बढ़कर ₹ 13469 करोड़ हो गया। इसका कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं) वर्ष 2010-11 में ₹ 44196 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 84960 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्ति, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्ति के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि, वर्ष 2010-11 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 348 करोड़ था तथापि, यह वर्ष 2014-15 में ₹ 5050 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

## 1.12 अनुवर्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति में इस प्रतिवेदन पर चर्चा आयोजित की जाती रही है।

तथापि, वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान किसी कंडिका पर लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया।

<sup>18</sup> प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समर्थ है।

<sup>19</sup> राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है।

<sup>20</sup> प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है।

### 1.13 निष्कर्ष एवं अनुशासण

#### राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5847.56 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11178.50 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.78 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

#### राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का स्थानांतरण

- वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 651.74 करोड़ स्थानांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 93.11 प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला योजना अधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत)।

भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखांकन और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

#### संसाधन संग्रहण

- जबकि राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 78417.54 करोड़) में वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राकवलन से ₹ 23522 करोड़ कम था।

सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

#### व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय 2013-14 के ₹ 14001 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 18150.41 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 2013-14 के 48.29 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 51.99 प्रतिशत हो गया। तथापि, इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत देखा गया।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुखता के साथ सामाजिक क्षेत्र व्यय को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए।

- चयनित सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश 2013-14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

- 31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जिसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 में सिर्फ ₹ 2.58 करोड़ प्रतिलाभ था।

*राज्य सरकार को संस्थानों/संगठन में निवेश पर अधिकतम प्रतिलाभ हेतु कदम उठाना चाहिए।*

### **राजकोषीय देयता**

- राज्य की राजकोषीय देयताएँ 2010-11 के ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2013-14 के ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 11179 करोड़ हो गए। वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया था।

*राज्य द्वारा किसी भी देयता निर्वहन हेतु एक प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।*